UPBN010011162026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–1, बदायूँ

उपस्थितः कु० रिंकू (एच०जे०एस०)

फौजदारी निगरानी संख्या–34/2026

सोनल वैश्य पुत्र स्व० राजेन्द्र प्रकाश वैश्य निवासी मोहल्ला चाहमीर (चूना मण्डी), थाना कोतवाली, शहर व जिला बदायूँ।

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. उ०प्र० सरकार
2. श्री सुरेन्द्र कुमार वैश्य पुत्र स्व० श्रीनिवास वैश्य निवासी मोहल्ला चाहमीर (चूना मण्डी), थाना कोतवाली शहर व जिला बदायूँ।

.....विपक्षीगण

निर्णय

01– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अवर न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा वाद संख्या 4623/2025 सुरेन्द्र वैश्य बनाम सोनल वैश्य अन्तर्गत धारा 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

02– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी के कथन इस प्रकार हैं कि प्रश्नगत आदेश दिनाँकित 02.01.2026 मनमाना, अनौचित्यपूर्ण व अन्यायपूर्ण है। अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया है। अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर बिना कोई साक्ष्य लिये पारित किया है। उक्त आदेश अविधिक व त्रुटिपूर्ण है। अवर न्यायालय ने धारा 164(1) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश पारित करने के बाद धारा 164(4) बी०एन०एस०एस० की प्रक्रिया का प्रयोग किये बिना सीधे धारा 165 के अन्तर्गत प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो कि पूर्णतः अविधिक व त्रुटिपूर्ण है। अवर न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि जिस भूमि के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया है, वह एक कृषि भूमि है तथा उस पर प्रार्थी/निगरानीकर्ता की आलू व गेहूँ की फसल खड़ी है, जिसकी प्रकृति क्षय होने की है तथा उक्त फसल की उचित देखभाल के सम्बन्ध में निर्देश दिये बिना प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जिसके कारण उक्त फसल नष्ट होने की पूर्ण सम्भावना है , जिससे

प्रार्थी/निगरानीकर्ता को अपूर्णनीय क्षति होगी। उक्त भूमि पर खड़ी फसल के फोटो निगरानी के साथ संलग्न है। उक्त आदेश के पारित होने से प्रार्थी /निगरानीकर्ता के विरूद्ध घोर अन्याय हुआ है। उक्त आधार पर प्रार्थी /निगरानीकर्ता एवं उसके अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02.01.2026 खारिज कर दिये जाने तथा दौरान निगरानी कृषि भूमि पर खड़ी आलू व गेहूँ के फसल के सम्बन्ध में कोई उचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

03– निगरानी के साथ निगरानीकर्ता की ओर से स्वयं का शपथ पत्र, विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 02.01.2026 की सत्यप्रति तथा आलू व गेहूँ की फसल के फोटो एवं परिवाद पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

04– प्रस्तुत निगरानी पर पूर्व में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत है। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

05- विद्वान अवर न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट मण्डल बरेली वाद संख्या 4623/2025 सुरेन्द्र कुमार वैश्य बनाम सोनल वैश्य अन्तर्गत धारा 164 बी०एन०एस०एस० आदेश दिनांकित 02.01.2026 इस आशय का पारित किया है कि पुलिस आख्या के अनुसार दातागंज मार्ग, ग्राम अतापुर थाना सिविल लाइन बदायूँ स्थित कृषि योग्य भूमि पर पार्टी प्रथम एवं पार्टी द्वितीय के मध्य पारिवारिक बंटवारे को लेकर दीर्घकालीन विवाद चला आ रहा है। दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है, तथा विवाद के कारण पूर्व में कई झगड़े हो चुके हैं, जिनमें थाना स्तर पर अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना उपरान्त आरोप पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। पुलिस द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि वर्तमान में भी विवाद इतना गंभीर है कि शांति भंग होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।

6- प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन की आख्या के अनुसार धारा 164(1) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत नोटिस जारी किया, जिसके अनुपालन में विपक्षी द्वितीय सोनल वैश्य पुत्र स्व० राजेन्द्र प्रकाश दिनाँक 27.11.2025 को अपने अधिवक्ता सहित उपस्थित हुए तथा प्रार्थना एवं वकालतनामा प्रस्तुत किया, किन्तु भूमि से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य निर्धारित अवधि दिनाँक 19.12.2025 तक प्रस्तुत नही किया गया। परिवादी द्वारा यह कथन किया गया कि भूमि खसरा संख्या 220 रकबा 0.223 हे०, 222 रकबा 2.158 हे० एवं 228 रकबा 0.041 हे० स्थित ग्राम अतापुर परगना व तहसील बदायूँ उसकी एवं उसके दिवंगत भाई की संयुक्त सम्पत्ति थी, जिसका आपसी मौखिक परिवारिक बंटवारा हो चुका था और दोनों भाई अपने-अपने अंश पर शांतिपूर्वक काबिज थे।

7- परिवादी के अनुसार उसके भाई की मृत्यु के उपरान्त विपक्षीगण द्वारा बंटवारे को न मानते हुए जबरन मेड, गूल व सिंचाई पाइप तोड़कर खेती को नुकसान पहुँचाया गया तथा लगभग चार बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया, जिससे फसल नष्ट हो गई। पुलिस द्वारा मौके का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार किया गया, जिसमें विवाद, तनाव एवं कब्जे की स्थिति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, यद्यपि इस न्यायालय को स्वामित्व का निर्णय करने का अधिकार नही है, किन्तु उपलब्ध अभिलेखों एवं पुलिस आख्या से यह प्रथम दृष्टया सिद्व होता है कि विवादि भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य वास्तविक एवं गंभीर विवाद विद्यमान है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है।

8- उपरोक्त आधार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा धारा 164 एवं 165 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने तथा विवादित भूमि खसरा संख्या 220 रकबा 0.223 हे०, 222 रकबा 2.158 हे० एवं 228 रकबा 0.041 हे० को धारा 165 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

09- अवर न्यायालय की प्रस्तुत की गयी सत्यप्रतियों के अवलोकन से विदित हो रहा है कि अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश पत्र में बिना प्रथम पक्ष को साक्ष्य का अवसर दिये ही पत्रावली द्वितीय पक्ष के साक्ष्य में नियत कर दी गयी और द्वितीय पक्ष को भी गैर हाजिर मानते हुये बिना उसका साक्ष्य समाप्त किये पत्रावली निर्णय में नियत कर दी गयी। इस प्रकार बिना साक्ष्य का अवसर प्रदान किये पत्रावली अन्तिम रूप से निस्तारित कर दी गयी। अवर न्यायालय का यह आदेश न तो 164, 165 बी०एन०एस०एस० के अनुरूप है और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुरूप है। पत्रावली नोटिस जारी करने के पश्चात सीधे द्वितीय पक्ष के साक्ष्य में नियत कर दी गयी और प्रथम तिथि पर ही द्वितीय पक्ष को साक्ष्य का अन्तिम अवसर दे दिया गया और फिर आदेश पारित कर दिया गया। आलोच्य आदेश में भी यह कहीं निर्धारित नहीं किया गया है कि कब्जा किस पक्ष का है, बिना कब्जे का निर्धारण व निस्तारण किये विवादित सम्पत्ति को कुर्क कर दिया गया और सुपुर्दगी किसी निष्पक्ष व्यक्ति को पुलिस द्वारा दिये जाने का आदेश पारित कर दिया गया और पत्रावली अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुये दाखिल अभिलेखागार कर दी गयी, जबकि धारा 164, 165 बी०एन०एस०एस० में कार्यवाही प्रारम्भ करने के बाद कब्जा किस पक्षकार का है, यह नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ को निस्तारित करना था और यदि कोई पक्ष बेदखल कर दिया गया है तो यह भी विचार करना था कि बेदखली दो माह के अन्दर हुई हो। इस प्रावधान का अनुपालन नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ द्वारा नहीं किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा जो प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उसमें भी उसके द्वारा सम्पत्ति कुर्क

करने की ही प्रार्थना की गयी है, अन्य कोई प्रार्थना नहीं की गयी है और यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में पक्षकारों के मध्य दीवानी वाद मूल वाद सं० 144/2025 सिविल न्यायालय, सिविल जज, सी०डि० बदायूँ में लंबित है, इस तथ्य का भी कोई संज्ञान अवर न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया है। बिना प्रक्रिया अपनाये प्रक्रिया का पूर्ण रूप से अनुपालन किये बिना ही एवं बिना पत्रावली पर साक्ष्य आये आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया जो कि चलने योग्य नहीं है। पत्रावली पर जो आदेश पारित किया गया उसमें कहीं पर भी कोई साक्ष्य किसी भी पक्ष का पत्रावली पर नहीं लिया गया।

अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गयी है। अतः अवर न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है और निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

फौजदारी निगरानी सं०– 34/2026 सोनल वैश्य बनाम उ०प्र० राज्य स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद सं० 4623/2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद सं० D202512070004623) सुरेन्द्र कुमार वैश्य बनाम सोनल वैश्य में पारित आदेश दिनांकित 02.01.2026 अपास्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को विधिनुसार साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये पुनः आदेश पारित करना सुनिश्चित करे।

इस निर्णय की एक प्रति अविलम्ब अवर न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार अग्रिम कार्यवाही हेतु अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.03.2026 को उपस्थित हों।

प्रस्तुत पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः 11.03.2026

(कु० रिंकू)
J.O. Code UP- 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०– 1, बदायूँ

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
दिनांकः 11.03.2026

(कु० रिंकू)
J.O. Code UP- 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०- 1, बदायूँ